आत्मानं विद्धि

Manava Bharati
India International School

Affiliated to C.B.S.E., Delhi (Affn. No. 3530254), School No.- ~~[illegible]~~ 81481

D-Block, Nehru Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand) INDIA
Phone : 0135-2669306 M- 8171465265
E-mail: principal@mbs.ac.in, mbsdun@rediffmail.com
Website : www.mbs.ac.in, manavabharatilive.com

To,

The Chief Fire Officer

Dehradun, Uttarakhand

Sub:- Submission of Self declaration audit report

Dear Sir,

With reference to the fire NOC granted to our organization for the period 24.03.2022 to 23.03.2025 and a clause associated with NOC for submission of self-declaration audit report after every six month .

We are presenting this letter to self – declare the following :

1. All the fire extinguisher present in school are tested for Hydraulic pressure test (report attached)
2. Fire Hydrant installed around school premises are checked for proper working at regular interval.
3. Fire Hydrant pipeline are checked for thickness at regular intervals (Report attached).
4. Emergency alarm system inside school premises is regularly checked and monitored for proper working.
5. Verbal and practical training is imparted to employees on regular intervals .

Please acknowledge the letter as a self-declartion against the proper working of fire safety system at our plant premises.

Manava Bharati India International School

कार्यालय अग्नि शमन अधिकारी
दिनांक.........
देहरादून
2/6/23

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।

पत्रांकः न–20/असुव्य (296)/22–23 दिनांकः मार्च 24, 2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
मानव भारती इण्डिया इण्टरनेशनल स्कूल
(MANAVA BHARTI INDIA INTERNATIONAL SCHOOL)
डी–ब्लॉक नेहरु कॉलोनी
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भः– अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 94398100 दिनांक 11.03.2022 के सम्बन्ध में।

आपके **स्कूल** का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी **देहरादून** द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक **17–03–2022** में आपके **स्कूल** में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी **देहरादून** की निरीक्षण आख्या दिनांक **17–03–2022** के आधार पर आपके **स्कूल** हेतु उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक 24–03–2022 से 23–03–2025 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भंवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें एंव अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगें। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नही होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आर0 एस0 खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।